मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2607 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनारक्षित (ओपन) वर्ग से चयनित श्री रजनीश पटेल पुत्र श्री अश्वनी कुमार पटेल को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की केन्द्रीय प्रयोगशाला में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2608 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री रजनीश पटेल पुत्र श्री अश्वनी कुमार पटेल, मकान नं. 72/2 झिग्राघाट, अंजनी कालोनी, बिछिया जिला - मण्डला (481998) मोबाइल 9617250366 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व का [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2609 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनारक्षित (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री आभा शुक्ला पुत्री श्री मनमोहन शुक्ला को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2610 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री आभा शुक्ला पुत्री श्री मनमोहन शुक्ला, मकान नं. 2 सांई पुरम कालोनी, आरूष अर्पाटमेंट के पीछे, जिला - कटनी (483501) मोबाइल 9926100198 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2611 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनारक्षित (ओपन) वर्ग से चयनित सुश्री नताशा लोधी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह लोधी को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क्र0 2612 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री नताशा लोधी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह लोधी, वार्ड नं. 1 संत फार्म, जगतपुर, कोलारस, जिला - शिवपुरी (473774) मोबाइल 9131431647 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का सभी [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2613 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनारक्षित (ओपन) वर्ग से चयनित श्री भगत सिंह भदौरिया पुत्र श्री गंगा सिंह भदौरिया को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, मंडीदीप में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2614 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप की ओर सूचनार्थ।
4. श्री भगत सिंह भदौरिया पुत्र श्री गंगा सिंह भदौरिया, मकान नं. 04, टीले वाली गली, चोपड़, जिला - विदिशा (464001) मोबाइल 8358851288 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2615 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनारक्षित (ओपन) वर्ग से चयनित सुश्री अंकिता बर्मन पुत्री श्री संतोष कुमार को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2816 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री अंकिता बर्मन पुत्री श्री संतोष कुमार, मकान नं. 16, सिलोंदी सोसायटी रोड, ढ़िमरखेड़ा, जिला - कटनी (483334) मोबाइल 8435285558 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसकी [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2617 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन) वर्ग से चयनित श्री विशाल सोलंकी पुत्र श्री गौरी शंकर सोलंकी को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2618 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. श्री विशाल सोलंकी पुत्र श्री गौरी शंकर सोलंकी, ग्राम - सेंगुड, पोस्ट - सोनतलई, हांडिया, जिला - हरदा (461331) मोबाइल 9399658199 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2619 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जाति (ओपन) वर्ग से चयनित श्री स्वर्ण कुमार भालाद्रे पुत्र श्री हेमराज भालाद्रे को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

पृ0क0 2620 स्था/प्रनिबो/2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. श्री स्वर्ण कुमार भालाद्रे पुत्र श्री हेमराज भालाद्रे, वार्ड नं. 04, दहेगड़वा, पोस्ट - हट्टा, किरनापुर, जिला - बालाघाट (481226) मोबाइल 7999746361 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमे वह उनके स्वामित्व का अथवा उनके [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2621 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जाति (ओपन) वर्ग से चयनित श्री कुमार सौरभ रत्न पुत्र श्री जगमोहन अहिरवार को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के पर्यावरण निगरानी केन्द्र भोपाल में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2622 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी पर्यावरण निगरानी केन्द्र, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री कुमार सौरभ रत्न पुत्र श्री जगमोहन अहिरवार, मकान नं. 1600/01, अंबेडकर वार्ड नं. 10, हिन्दोरिया, जिला - दमोह (470771) मोबाइल 7987274674 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनुषंगि
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2623 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु ई.डब्ल्यू.एस. (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री सलोनी खेमरिया पुत्री श्री बृज किशोर खेमरिया को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, गुना में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2624 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री सलोनी खेमरिया पुत्री श्री बृज किशोर खेमरिया, खेमरिया मोहल्ला, कोलारस, जिला - शिवपुरी (473770) मोबाइल 9425769567 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का अथवा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2625 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जाति (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री ज्ञानेश्वरी महोबिया पुत्री श्री शैलेन्द्र सिंह महोबिया को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाड़ा में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2626 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री ज्ञानेश्वरी महोबिया पुत्री श्री शैलेन्द्र सिंह महोबिया, मकान नं. 48, ईशा नगर कालोनी, छोटा हनुमान मंदिर के पास, पर्तला, जिला - छिन्दवाड़ा (480001) मोबाइल 9109348829 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनुषंगि
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2627 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनारक्षित (सैनिक/ओपन) वर्ग से चयनित श्री अवधेश नरवरिया पुत्र श्री मंगल सिंह को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की मॉनीटरिंग शाखा में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2628 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी मॉनीटरिंग शाखा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री अवधेश नरवरिया पुत्र श्री मंगल सिंह, ग्राम - पुर, पोस्ट - पिडोरा, जिला - भिण्ड (477001) मोबाईल 7049637477 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का सभी संपत्ति जो उसने अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2629 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (संविदाकर्मी/महिला) वर्ग से चयनित सुश्री रंजीता चौधरी, पुत्री श्री नीलेश चौधरी को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2630 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री रंजीता चौधरी पुत्री श्री नीलेश चौधरी, बी-44 परस्पर कालोनी चूनाभट्टी, कोलार रोड, जिला - भोपाल (462016) मोबाईल 7987155253 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2631 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (विज्वल हैंड/ओपन) वर्ग से चयनित सुश्री रक्षा रहंगडाले पुत्री श्री भोजराज रहंगडाले को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

पृ0क0 2632 स्था/प्रनिबो/2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री रक्षा रहंगडाले पुत्री श्री भोजराज रहंगडाले, वार्ड नं. 12, भजियादंद, अमई, खेरलांजी, जिला - बालाघाट (481335) मोबाईल 7610111619 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2633 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से चयनित सुश्री अंतिम बाला पति श्री महेन्द्र सिंह को वेतनमान रूपये 9300–34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स लेवल (9) 36200–114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, सागर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–सी 3–15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2634 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री अंतिम बाला पति श्री महेन्द्र सिंह, वार्ड नं. 09, ब्योहारी, जिला - शहडोल (484774) मोबाईल 9826213695 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2635 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 12 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से चयनित श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, सिंगरौली में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2636 स्था/प्रनिबो/2023
भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, वार्ड नं. 03, ब्योहारी, जिला - शहडोल (484774) मोबाईल 7580917927 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2637 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से चयनित श्री आकाश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह को वेतनमान रूपये 9300–34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे–मेट्रिक्स लेवल (9) 36200–114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की मॉनीटरिंग शाखा में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–सी 3–15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2638 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी मॉनीटरिंग शाखा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री आकाश सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, वार्ड नं. 08, मदनमोहन वार्ड, ब्योहारी, जिला - शहडोल (484774) मोबाईल 6267737812 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसकी [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2639 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से चयनित श्री रामराज मरावी पुत्र श्री सुखदीन मरावी को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पर्यावरण निगरानी केन्द्र में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क्र0 2640 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी पर्यावरण निगरानी केन्द्र, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री रामराज मरावी पुत्र श्री सुखदीन मरावी, ग्राम - गांजाटोला (मेंहदवानी) तहसील - शहपुरा, जिला - डिण्डोरी (481672) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अप्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2641 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये रसायनज्ञ पद हेतु अनुसूचित जनजाति (फिजिकल हैण्डीकैप) वर्ग से चयनित श्री ललिता मरावी पुत्री श्री जीवन मरावी को वेतनमान रूपये 9300-34800+3600 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स लेवल (9) 36200-114800 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

पृ0क0 2642 स्था/प्रनिबो/2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री ललिता मरावी पुत्री श्री जीवन मरावी, मकान नं. 70, ग्राम - चरकुमर, घोघरी, जिला - अनूपपुर (484881) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसकी अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2643 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अनारक्षित (ओपन) वर्ग से चयनित श्री सचिन चौरसिया पुत्र श्री भगवानदास चौरसिया को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन कमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2644 स्था/प्रनिबो/2023
भोपाल, दिनांक
20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. श्री राचिन चौरसिया पुत्र श्री भगवानदास चौरसिया, प्लाट नं. 001, पंडापुरा, बाघराज वार्ड, जिला - सागर (470002) मोबाईल 9098425448 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसकी आय अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2645 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु ई.डब्ल्यू.एस. (ओपन) वर्ग से चयनित श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, मंडीदीप में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2646 स्था/प्रनिबो/2023
भोपाल, दिनांक
20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप की ओर सूचनार्थ।
4. श्री गौरव शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा, जशरथखेड़ी, सिरोंज, जिला - विदिशा (464228) मोबाईल 8120849965 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2647 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु ई.डब्ल्यू.एस. (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री अयुषी असाटी पुत्री श्री राजकुमार असाटी को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, सागर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

पृ0क्र0 2648 स्था/प्रनिबो/2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री आयुषी असाटी पुत्री श्री राजकुमार असाटी, 116, हनुमान मंदिर गली नं. 2, 5 सिविल लाईन, जिला - सागर (470001) मोबाईल 8349604879 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2649 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री तबस्सुम खान पुत्री श्री रहीम खान को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क्र0 2650 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री तबस्सुम खान पुत्री श्री रहीम खान, वार्ड नं. 10, हिन्दोरिया, अंबेडकर वार्ड, जिला - दमोह (470771) मोबाईल 8319382278 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2651 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अनुसूचित जाति (ओपन) वर्ग से चयनित श्री आदित्य कुमार अहिरवार पुत्र श्री पर्वत सिंह को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के जिला कार्यालय, खण्डवा में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2652 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संदर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. श्री आदित्य कुमार अहिरवार पुत्र श्री पर्वत सिंह, ग्राम/पोस्ट - इरई, बदोनी, जिला - दतिया (475661) मोबाईल 8889266320 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह से में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

Form(w)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2653 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अनुसूचित जाति (महिला) वर्ग से चयनित सुश्री प्रियंका कबीरपंथी पुत्री श्री आर.सी. कबीरपंथी को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क्र0 2654 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023.

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री प्रियंका कबीरपंथी पुत्री श्री आर.सी. कबीरपंथी, 438 शिवराज कालोनी, शिवाजी वार्ड नं. 5, तिली, जिला - सागर (470002) मोबाईल 8770093437 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अध्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह से [illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसकी [illegible] अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2655 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (मल्टीपल डिसएविलिटि/ओपन) वर्ग से चयनित श्री रोहित राय पुत्र श्री विनोद कुमार राय को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पर्यावरण निगरानी केन्द्र में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2656 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी पर्यावरण निगरानी केन्द्र, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री रोहित राय पुत्र श्री विनोद कुमार राय, 62/3 सैयदपुर, गैरतगंज, जिला - रायसेन (464884) मोबाईल 9755259717 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह से[illegible] में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का सभी उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2657 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से चयनित श्री पवन आदिवासी पुत्र श्री गणपत आदिवासी को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की केन्द्रीय प्रयोगशाला में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्ते) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क0 2658 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री पवन आदिवासी पुत्र श्री गण्पत आदिवासी, ग्राम/पोस्अ - राड़ेप, तहसील - बड़ौदा, जिला - श्योपुर (476339) मोबाईल 9301884843 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ जागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2659 स्था/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग से चयनित श्री संदीप कुमार मार्को पुत्र श्री भोला सिंह मार्को को वेतनमान रूपये 5200-20200+2400 (ग्रेड पे) सातवें वेतनमान रूपये पे मेट्रिक्स लेबल (6) 25300-80500 में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में 06 माह की प्रशिक्षण अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

बोर्ड सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1 यह नियुक्ति अस्थाई है । मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा) के नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भूगतान कर समाप्त की जा सकेगी। एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्त के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

2 नियुक्त किए गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

3 म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

4 मध्यप्रदेश शासन वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नियम/4, दिनांक 02/04/2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात नियुक्ति के कारण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं म.प्र. शासन, वितत विभाग के राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रमांक-एफ8-1-2020, दिनांक 22 फरवरी 2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त पद के सातवें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूवर्क पूर्ण करने उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

7 प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

8 पदभार ग्रहण करने की दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। बोर्ड सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

9 संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 संबंधित कर्मचारी बोर्ड के प्रति पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहेगा।

11 उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रदाय सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। इस हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे।

12 अभ्यर्थियों का किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण पाये जाने एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/स्वघोषणा पत्र के अनुसार दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

13 आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

14 अभ्यर्थी को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिसे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने, परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि में बोर्ड द्वारा उस पर खर्च की गई वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय वापसी के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा।

15 नियुक्त अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का वेरीफिकेशन प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी।

16 नियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच प्रमाण पत्र, अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

17 परिवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी ।

18 उपरोक्त नियुक्ति आदेश पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण 5269/2023 कर्मचारी चयन मण्डल एवं 20227/2023 मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य तत्संबंधी प्रकरणों में भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावशील होगा।

19 नियुक्त सेवकों को सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को धारित चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क्र0 2660 स्था/प्रनिबो/2023
भोपाल, दिनांक 20 SEP 2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)/ वित्त अधिकारी/ आईटी प्रभारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डॉ0 अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/प्रमुख वैज्ञानिक संवर्ग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. श्री संदीप कुमार मार्को पुत्र श्री भोला सिंह मार्को, ग्राम - गोरखपुर, पोस्ट - शाहपुर, जिला - डिण्डोरी, मोबाईल 6265139214 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. आर्डर बुक/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

फार्म

अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमे वह हो ----------
2. वर्तमान धारित पद ----------
3. वर्तमान वेतन ---------- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख ----------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* * वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया * * * खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

* * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

(Format)